बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (II) व^2–24 / 2012– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

विषय– डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना के निर्माण एवं विकास हेतु चयनित मास्टर प्लान कन्सलटेंट के परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रू॰ 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू॰ 80,75,000=00 (अस्सी लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र, LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1007, दिनांक 12.04.2013 के द्वारा पटना में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु मे॰ लार्ड कल्चरल रिसोर्सेज प्रा॰ लि॰, को 'मास्टर प्लान कन्सलटेंट' के रूप में चयन करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रू॰ 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. विभागीय संकल्प संख्या–1776, दिनांक 05.8.2015 द्वारा उक्त प्रस्तावित साइंस सिटी को डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साइंस सिटी के रूप में नामित किया गया है।

2. राज्य सरकार ने एकरारनामा में अंकित पेमेंट शिड्यूल के अनुसार मास्टर प्लान कन्सलटेंट द्वारा Phase 1-Draft Master Plan & Draft Capex Report के लिए समर्पित अभिश्रव (संलग्न) के आधार पर परामर्शी शुल्क के रूप में स्वीकृत कुल राशि रू॰ 4,25,00,000=00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू॰ 80,75,000=00 (अस्सी लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र, M/S LordCultural Resources Pvt. Ltd. को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त विमुक्त राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष– 2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघुशीर्ष– 004–अनुसंधान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0101– बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/ इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड– पी 2203000040101 है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना होंगे।

5. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैक ड्राफ्ट के माध्यम से मास्टर प्लान कन्सलटेंट को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. मुम्बई में भुगतेय उक्त बैंक ड्राफ्ट " LordCultural Resources Pvt. Ltd. " के पक्ष में होगा।

7. विमुक्ति हेतु उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^2–24/ 2012– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^2–24/ 2012– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि०प्रा० (II) व^2–24/ 2012– 804 /पटना, दिनांक– 31-03-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ अवर सचिव/विपत्र शाखा (मूल अभिश्रव सहित दो प्रतियों में)/बजट सहायक/ आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.03.17
सरकार के उप सचिव
31/03/17